रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1973/पौष 25, 1894

No. 10] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1973/PAUSA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th January 1973

SUBJECT:—*Transfer of imports/exports effected under Indo-Afghan Trade Arrangement period 1971-72.*

No. 4-ITC(PN)/73.—Attention is invited to Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated 31st July, 1971, and subsequent Public Notice No. 10-ITC(PN)/72, dated 22nd January, 1972, and Public Notice No. 152-ITC(PN)/72, dated 25th October, 1972.

2. In terms of para 11 of the Public Notice No. 93-ITC(PN)/71, dated 31st July, 1971, the 'approved importers' were required to make advance exports in the ratio of 75 per cent : 25 per cent, as between traditional and non-traditional items. These advance exports were to be counter-balanced by imports of fresh fruits by 30th November, 1972, *vide* Public Notice No. 152-ITC(PN)/72, dated 25th October, 1972.

3. It is hereby notified that no CCPs will be granted to those approved importers, who have either failed to effect advance exports in the required proportion of 75 per cent : 25 per cent as between traditional and non-traditional items or, having made the advance exports in the required proportion, failed to counter-balance their advance exports by imports of fresh fruits, by the crucial date *i.e.*, 30th November, 1972. However, they will be allowed to transfer their advance exports, effected

during 1971-72 period, to those parties, who have imported fresh fruits from Afghanistan during March, 1972-February, 1973; and will be subject to the following conditions:—

(i) The transferer, *i.e.* the exporter, who made the advance exports during 1971-72 period, shall not be eligible to take into account the exports so transferred for any benefit under the Indo-Afghan Trade Agreement during the current or future periods.

(ii) The prescribed export obligation during the current period *i.e.* March 1972-February 1973, is 50 per cent: 50 per cent., as between Schedule B-I and B-II items. Therefore, such transferer exporters shall be liable to penal action, under the import and export control regulations, in the event of the failure of the transferee to discharge his export obligation in the aforesaid proportion *i.e.* 50 per cent: 50 per cent. during the current period.

4. It is clarified that in case the transfers are completed before 28th February, 1973 and the export obligation in respect of the current period *i.e.* March, 1972/. February-1973, has been fulfilled in the required proportion (i.e. 50 per cent: 50 per cent as between Schedule B-I and B-II items) before 28th February, 1973, there will be no bar to the concerned approved importers applying for issue of CCPs during the current period, if otherwise eligible.

5. In the case of importers, who had effected imports of fresh fruits from Afghanistan during 1971-72 trade arrangement period, the last date for fulfilment of counter-export obligation in the required proportion (*i.e.* 75 per cent : 25 per cent as between traditional and non-traditional items), expired on 31st July, 1972. Such of the importers, who had completed their counter-balancing exports of the required value upto 31st July, 1972, but the proportion of their non-traditional exports was either nil or less than the prescribed minimum of 25 per cent., will be allowed transfer a part of their exports of traditional goods to those parties, who had imported fresh fruits from Afghanistan during March 1972-February, 1973 trade arrangement period; and who have still to make their counter-balancing exports. Such transfers would result in creating an import balance with the transfers, against which they would be able to export non-traditional items to Afghanistan, or to acquire from others, by transfer, the export of non-traditional items, so as to make up the shortfall in their exports of non-traditional goods. These transfers are required to be completed by 28th February, 1973 at the latest and will be subject to the following conditions:

(i) It will not absolve the transferee importer of the responsibility of discharging his counter-balancing export obligation of traditional and non-traditional goods in the prescribed proportion of 50:50 during the current agreement period.

(ii) The transferer will not be eligible to take into account the exports so transferred for any benefit under the Indo-Afghan trade during the current or future periods.

K. S. NARANG,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973

विषय:—1971–72 अवधि के दौरान भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावी किए गए आयातों-निर्यातों का हस्तान्तरण

सं० 4-आई० टी० सी० (पी एन)/73.—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 93—आई टी सी (पी एन)। 71, दिनांक 31 जुलाई, 1971 तथा अनुवर्ती सार्वजनिक सूचना संख्या : 10—आई टी सी (पी एन)।72, दिनांक 22 जनवरी, 1972 तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 152—आई टी सी (पी एन)।72, दिनांक 25 अक्तूबर 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या : 93 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 31 जुलाई, 1971 की कंडिका 11 के अनुसार अनुमोदित आयातकों के लिए यह आवश्यक था कि वे परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों के भीतर 75 प्रतिशत: 25 प्रतिशत के अनुपात में अग्रिम निर्यात कर। इस प्रकार के अग्रिम निर्यात 30 नवम्बर, 1972 तक ताजे फलों के आयातों द्वारा प्रति सन्तुलित किए जाने थे। देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या : 152—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 25 अक्तूबर, 1972।

3. एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उन अनुमोदित आयातकों को किसी भी प्रकार के सीमा शुल्कों निकासी परमिट स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जो या तो परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों के बीच 75 प्रतिशत : 25 प्रतिशत के अपेक्षित अनुपात में अग्रिम निर्यात करने में असफल रहे हैं या जिन्होंने अपेक्षित अनुपात में अग्रिम निर्यात तो कर लिए, किन्तु वे अपने अग्रिम निर्यातों को, निश्चित तिथि अर्थात् 30 नवम्बर, 1972 तक ताजे फलों के आयातों द्वारा प्रतिसन्तुलित करने में असफल रहे हैं। लेकिन, उनको 1971-72 अवधि के दौरान प्रभावी किए गए अपने अग्रिम निर्यातों को उन पार्टियों को हस्तान्तरित करने के लिए स्वीकृति दी जाएगी जिन्होंने मार्च, 1972—फरवरी, 1973 अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया है। ऐसे हस्तान्तरण 28 फरवरी, 1973 तक पूर्ण हो जाने चाहिए और वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(1) वह हस्तान्तरक अर्थात् निर्यातक जिसने 1971—72 अवधि के दौरान अग्रिम निर्यात किया था, इस प्रकार के हस्तान्तरित किए निर्यातों से, वर्तमान अथवा आगामी अवधियों के लिए भारत-अफगान व्यापार समझौते के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) वर्तमान अवधि अर्थात् मार्च, 1972—फरवरी, 1973 के दौरान अनुसूची बी-1 तथा बी—2 की मदों के बीच निर्धारित निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत:50 प्रतिशत का है। इसलिए, ऐसे हस्तान्तरक निर्यातकों के विरुद्ध हस्तान्तरी द्वारा वर्तमान अवधि के दौरान उपर्युक्त निर्यात दायित्व को अर्थात् 50 प्रतिशत:50 प्रतिशत के अनुपात में न पूरा करने की स्थिति में आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि हस्तान्तरण 28 फरवरी, 1973 तक पूर्ण कर लिए जाते हैं और वर्तमान अवधि अर्थात् मार्च, 72/फरवरी, 1973 से सम्बन्धित अपेक्षित अनुपात (अर्थात् अनुसूची बी—1 तथा बी—2 के बीच की मदों के 50 प्रतिशत:50 प्रतिशत) में निर्यात दायित्व पूर्ण कर लिए गए हैं तो सम्बद्ध अनुमोदित आयातक को, यदि वह अन्यथा रूप से पात्र है, तो सीमा शुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने के लिए स्वीकृति होगी।

5. उन आयातकों के मामलें में जिन्होंने 1971-72 की व्यापार व्यवस्था की अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया था, उनको अपेक्षित अनुपात (अर्थात् परम्परागत और गैर-परम्परागत मदों के बीच 75 प्रतिशत : 25 प्रतिशत) में प्रति-निर्यात आभार को पूरा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 1973 को समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार के आयातक जिन्होंने 31 जुलाई, 1972 तक अपेक्षित मूल्य के अपने प्रति सन्तुलन निर्यातों को पूरा कर लिया था, किन्तु उनके गैर-परम्परागत निर्यातों का अनुपात शून्य था या निर्धारित न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम था तो

उनको परम्परागत माल के उनके निर्यातों के एक भाग को उन पार्टियों को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी जाएगी जिन्होंने मार्च, 1972—फरवरी, 1973 की व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात किया था और जिन्हें अभी भी अपने प्रति सन्तुलन निर्यात करने है। इस प्रकार के हस्तान्तरणों के फलस्वरूप, हस्तान्तरणकर्त्ता के आयात सन्तुलन में वृद्धि होगी। जिसके बदले वे अफगानिस्तान को गैर-परम्परागत मदों के निर्यात करने या हस्तान्तरण द्वारा गैर-परम्परागत मदों के निर्यातों को दूसरे से प्राप्त करने में समर्थ होंगे जिससे कि वे गैर-परम्परागत माल को अपने निर्यात की कमी को पूरा कर सकेंगे। उन हस्तान्तरणों को किसी भी हालत में 28 फरवरी, 1973 तक पूरा करना आवश्यक है और वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

(1) यह वर्तमान व्यवस्था अवधि के दौरान 50 : 50 के निर्धारित अनुपात में परम्परागत तथा गैर-परम्परागत माल उसके प्रतिसन्तुलन निर्यात आभार के कर्त्तव्य निर्वाह की जिम्मेदारी से हस्तान्तरी आयातक को विमुक्त नहीं करेगा।

(2) वर्तमान या भविष्य की अवधियों में भारत-अफगान व्यापार के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के लाभ के लिए इस प्रकार के हस्तान्तरित निर्यातों के लिए हस्तान्तरण कर्त्ता को पात्र नहीं माना जाएगा।

के० एस० नारंग

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973